

राजस्थान सरकार  
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.4 (300) (1) स्टा./वैण्डर/ 6-18

दिनांक : 5/11/11

1. अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक),  
जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक)  
राजस्थान।

विषय :- 12 वर्ष से अधिक पुराने स्टाम्प वैण्डरो द्वारा कार्यालय में जमा  
विक्रय एवम् स्टाम्प पंजिका को विडिंग करने की स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि आपके अधीन जिलों के स्टाम्प वैण्डरो के  
स्टाम्प विक्रय एवम् स्टाम्प पंजिकाओं को जो 12 वर्ष से अधिक पुराने जमा है,  
उनको District Manual Record के Chapter 1 Appendix -D के क्रम में नष्ट योग्य मानते  
हुये नष्टीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी निर्देशित किया  
जाता है कि रजिस्ट्रो को नष्ट करने से पूर्व न्यायालय में चल रहे प्रकरणों, अन्य  
जांच में वांछित रजिस्ट्रो एवं जिन मामलों में पुलिस अनुसंधान अथवा जांच हेतु  
या प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन/प्रकरण विचाराधीन है या अन्यथा रूप से  
वांछित होने पर उनको नष्ट नहीं किया जावे। नष्ट करने वाले रजिस्ट्रो की एक  
सूची अवश्य बनाई जावे, तथा नष्टीकरण का प्रमाण-पत्र अंकित करते हुवे सूची  
विभाग को भेजी जावे।

महानिरीक्षक  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग  
राजस्थान अजमेर।